न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

278

पुनरीक्षण क्रमांक : /2012

R 2385-II/12

1. गौरेलाल पुत्र श्री तिजवा पाल
2. लछुवा पुत्र श्री दौलता पाल,

निवासीगण- ग्राम छन्नापुरवा, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

——आवेदकगण

बनाम

सुखिया पुत्र डरूआ चमार, निवासी–ग्राम मियाताल, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर (म.प्र.) ——अनावेदक

श्री अजित भार्गव, अभि० द्वारा आज दि. 30-7-12 को प्रस्तुत

30-7-12

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर द्वारा **प्रकरण** क्रमांक 87/निगरानी/अ–70/2010–11 में पारित **आदेश** दिनांक 26/06/2012 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 50 (1) के अधीन **पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :–

1. यह कि, अनावेदिका तहसील न्यायालय के समक्ष सर्वे क्रमांक– 3/1/5, रकवा 2.023 हेक्टर के सीमाकंन हेतु आवेदन किया। नायब तहसीलदार महोदय द्वारा राजस्व निरीक्षक को सीमाकंन किये जाने हेतु आदेशित किया गया।

2. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण सरहदी काश्तकार हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दिये बिना एकपक्षीय सीमाकंन कर दिनांक 03/08/2008 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, कब्जा एवं नक्शे की तरमीम यथास्थिति नही है, भिन्नता है। अतः नक्शे मे 3/1/5, 3/7 एवं 3/9/1 की तरमीम निरस्त करके पेंसिली तरमीम अनुसार तरमीम स्वीकृत कर सीमाकंन करना उचित होगा। अन्यथा आवेदक एवं सरहदी कृषक अपना अपना कब्जा नही छोड़ने चाहते है। अर्थात राजस्व निरीक्षक द्वारा नक्शा त्रुटिपूर्ण पाया गया एवं

A. Bhargava
अजितभार्गव
(अधि०)

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2385–दो / 2012 जिला–छतरपुर

गौरेलाल व अन्य विरूद्ध सुखिया

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री आर.डी. शर्मा अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 87 / निग. / अ–70 / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26–06–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19	